



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237879  
CG-DL-E-03082022-237879

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3482]  
No. 3482]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2022/श्रावण 12, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2022/SHRAVANA 12, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त 2022

**का.आ. 3649(अ).**—केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 4 मई, 2022 के का.आ. सं. 2073 (अ.) के अधीन प्रकाशित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिनांक 4 मई, 2022 की अधिसूचना सं. फा.सं.यू.11019/09/2022-एचआर के तहत उपयुक्त प्राधिकरण को अधिसूचित किया है। अब केंद्रीय सरकार सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 35(3) (क) (iii) और (v) और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 12(3) (क) (iii) और (v) के अनुसार, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्राधिकरण में संबंधित श्रेणियों में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) डॉ. रामनीक शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्वाइवल ऑफ यंग एंड अडोलसेंट (एसयूआरवाईए) फ़ाउंडेशन, चंडीगढ़ को महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिष्ठित महिला की श्रेणी में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है; और
- (ii) डॉ. वनिता सूरी, विभागाध्यक्ष प्रसूति एवं स्त्री रोग, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को प्रख्यात पंजीकृत चिकित्सक की श्रेणी में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

[फा. सं. यू.11019/63/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health Research)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2022

**S.O. 3649(E).**—Central Government has notified Appropriate Authority for UTs vide Notification No. F. No. U.11019/09/2022-HR dated 4th May, 2022 published in Gazette of India under SO no. 2073 (E) dated 4th May, 2022. Now Central Government in accordance with Section 35 (3) (a) (iii) & (v) of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 and Section 12 (3) (a) (iii) & (v) of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 includes the following as Members in respective categories in the Appropriate Authority for the UT of Chandigarh:

- (i) Dr. Ramneek Sharma, Gynecologist, Survival of Young & Adolescent (SURYA) Foundation, Chandigarh, as Member in the category of eminent Woman representing women's organization; and
- (ii) Dr. Vanita Suri, HOD Obs & Gynae, PGIMER, Chandigarh, as Member in the category of eminent registered medical practitioner.

[F. No. U.11019/63/2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.